

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी:- श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्या:- 2/137/2023

दायर दिनांक:- 15/06/2023

जीसीएमएस नं०:- 2023/274

निर्णय दिनांक:- 15/04/2025

बउनवान

1. अख्तर खां पुत्र ईशाक जाति मेव निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
2. जावेद खां पुत्र ईशाक जाति मेव निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
3. मुफशीद खां पुत्र ईशाक जाति मेव निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
जिला अलवर ।

.....सायलान

बनाम

1. रज्जाक खां पुत्र धूपसिंह जाति मेव निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
2. अजमत पुत्र झडमल जाति मेव निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
3. कमरुद्दीन पुत्र रहमत जाति मेव निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
4. जुव्वा पत्नी भुल्लू जाति मेव निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
5. नसरू खां पुत्र झडमल जाति मेव निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
6. मजीदन पत्नी रज्जाक जाति मेव निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
7. रतीवन पत्नी असरफल जाति मेव निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
8. समसुद्दीन पुत्र झडमल जाति मेव निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
9. साहुन पुत्र झडमल जाति मेव निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर
10. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर

..... गैरसायलान

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :- श्री सुभाष चन्द शर्मा -अधिवक्ता सायलान

श्री गिरधारीलाल शर्मा- अधिवक्ता गैरसायल सं० 1,2,6,6,8,9

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

—:निर्णय:—

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 196 रकबा 0.17 हे0 172 रकबा 0.41 हे0 201 रकबा 0.59 हे0 ग्राम टिटपुरी तहसील कठूमर में स्थित है। जो आराजी सायलान एवं गैरसायलान की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है मुताविक हिस्सा जमाबन्दी सायलान एवं गैरसायलान अपने अपने हिस्सा की आराजी पर शामलात में काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी सायलान एवं गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी अवट है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। सायलान विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहता है सायलान ने गैरसायलान से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा बावत कहा तो गैरसायलान ने साफ इन्कार कर दिया। गैरसायलान ने विवादित आराजी का कानूनी तकासमा ना कराने के साथ साथ सायलान को खुले आम धमकी दी है कि हम तुझें विवादित आराजी पर शामलात में काश्त नहीं करने देगें जबरन वेदखल कर खुद कब्जा करेगें या विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराये बिना ही गैरसायल 10 से मिलकर दीगर लोगों को रहन वय हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल कर देगें। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायलान तवाह एवं बर्वाद हो जावेगे दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायलान को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फ़ैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल सं0 3, 4, 7 बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आये जिनके विरुद्ध दिनांक 15.12.2023 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

उपरग्रह अधिकारी
कठूमर (अलवर) राजस्थान

गैरसायल सं० 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 ने हाजिर अदालत होकर सायल के प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये जवाब पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी अवट ना होकर बंटी हुई है तथा मुताबिक बंटवारा के अपनी अपनी हिस्से पर आने जानें के लिये उत्तर से दक्षिण रास्ता कायम एवं जारी है। शामलात में कोई काश्त नहीं हो रही है। सिर्फ रिकार्ड में शामलात दर्ज है सभी ने अपने हिस्से पर रिहायसी मकानात बना रखे है तथा गैतबाडे बना रखे है शामलात में कोई काश्त नहीं होते है। मौके पर किसी तरह का विवाद नहीं है। विवादित आराजी का मौके पर घरू वंटवारा हो रहा है यदि मुताबिक घरू बंटवारा विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कर दिया जावे तो एतराज नहीं है। गैरसायलान विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार हैं जिन्हें अपनी आराजी पर निर्माण करने व काश्त करने व उपयोग एवं उपभोग करने का पूरा पूरा अधिकार है। विवादित आराजी बावत सायल एवं गैरसायलान के मध्य किसी तरह का विवाद नहीं है ना किसी तरह का मनममुटाव है। प्रार्थना पत्र में तमाम तथ्य गलत दर्ज कराये है। सायलान को किसी तरह का नुकसान व क्षति नहीं होती है इस वजह से सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 वाके ग्राम टिटपुरी की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

सायलान को अपने प्रार्थना पत्र को अपने पक्ष में सावित करने के लिये निम्न तीन बिन्दुओं को अपने पक्ष में साबित कराना है

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना पूर्ति होने वाली क्षति

विद्वान अधिवक्ता सायलान ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायलान एवं


उपसर्ण्ड अधिकारी
कतूमर (अलवर) राज०

गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है जो अवट है सायलान विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहते है लेकिन गैरसायलान तैयार नहीं है। गैरसायलान विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराये विना रहन वय करने को उतारू है तथा सायलान के कब्जे काशत में बाधा पैदा करते है इस वजह से गैरसायलान को पाबन्द किया जावे। अधिवस्थ सायलान ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर गैरसायलान को पाबन्द करने का निवेदन किया तथा अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी बहस में अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया कि सायलान ने प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है विवादित आराजी का घरेलु बंटवारा हो चुका है सायलान व गैरसायलान अपने अपने हक हिस्सा व घरू बंटवारे में मिली आराजी पर काबिज है मौके पर किसी तरह का विवाद नहीं है। सायलान गैरसायलान के हिस्सा की आराजी को हडपना चाहते है। विवादित आराजी पर मकान व बाडे बने हुये है अधिवक्ता गैरसायलान ने सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रथम दृष्टा केस:- सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये जमाबन्दी हाल की छाया प्रति पेश की है। जमाबन्दी हाल में विवादित आराजी सायलान एवं गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। हमने प्रार्थना पत्र के तथ्यों, जवाब प्रार्थना पत्र व प्रस्तुत जमाबन्दी का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण पक्षकारान की बहस पर मनन किया। सायलान द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी के अवलोकन से यह सावित है कि विवादित आराजी सायलान एवं गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। गैरसायलान के तर्क कि विवादित आराजी का मौके पर घरू बंटवारा हो रहा है इसी मुताविक काबिज है लेकिन इस बावत गैरसायलान ने घरू बंटवारा के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। अतः विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में शामलात खातेदारी में दर्ज होने से विवादित आराजी सायलान एवं गैरसायलान की अवट व शामलात में काशत होने का अनुमान किया जाता है। अतः प्रथम दृष्टा केस सायल के पक्ष में साबित होता है।

उपर्युक्त अधिकारी
कानून (अवलोकन) राज०

सुविधा का सन्तुलन:- सायलान द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दियों में विवादित आराजी सायलान एवं गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी मौके पर बंटी हो इस तरह का पत्रावली पर कोई दस्तावेज नहीं है। विवादित आराजी अवट है या बंटी हुई ये तथ्य तो मूल वाद में गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जायेगा। यदि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया गया तो गैरसायलान सायलान के शामलात कब्जे काश्त में बाधा पैदा कर सकते हैं रहन वय कर सकते हैं जिससे सायलान को असुविधा होना संभव है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में प्रतीत होता है।

ना पूर्ति होने वाली क्षति:- विवादित आराजी सायलान एवं गैरसायलान की खातेदारी में दर्ज है। सायलान विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है। यदि गैरसायलान ने सायलान के कब्जे काश्त में बाधा पैदा की या विना तकासमा रहन वय कर दिया तो बाद बहुलता व पक्षकारान के मध्य मुकदमा बाजी बढेगी। जिससे सायलान को क्षति व नुकसान होने की संभावित है। अतः ना पूर्ति होने वाली क्षति भी सायलान के पक्ष में प्रतीत होती है।

उपरोक्त बिन्दुओ के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र साबित होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य प्रतित होता है।

-:आदेश:-

अतः प्रार्थी का प्रार्थना 212 आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायलान के पक्ष में साबित हैं। गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकसान व क्षति होती हो इस तरह की संभावना अदालत के समक्ष नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट सायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को ता फैसला दावा अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 196, 172, 201 वाके ग्राम टिटपुरी तहसील कठूमर के रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली पर जारी स्टे

उपसण्ड अधिकारी
कठूमर (अवतार) राज०

आदेश दिनांक 15.06.2025 मूल वाद के निस्तारण तक कनफर्म किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (अध्यापक)
उपखण्ड अधिकारी कटेमर अलेवर
राज०